Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निग/टीए/2179/2004/चुरू

सावंताराम पुत्र समराराम (फोत) जरिये वारिसान
1 चतराराम
2 आशाराम
3 गुमानाराम
4 मांगीलाल समस्त पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी ग्राम जोगलसर तहसील सुजानगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1 गोम कवंर पुत्री दुलेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोगलसर
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुजानगढ

अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री मुकेश जैन वकील प्रार्थीगण
श्री योगेन्द्रसिंह शक्तावत वकील अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः.15.3.18

यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्कारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2003 में पारित निर्णय दिनांक 27.5.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रार्थी ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत कर एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही जोगलसर की आराजी खसरा नम्बर 544 पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वादी प्रार्थी ने पुनः एक प्रार्थनापत्र बाबत रिसीवर नियुक्त किये जाने प्रस्तुत कर रिसीवर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ ने निर्णय दिनांक 30.8.2003 से विवादित भूमि पर तहसीलदार, सुजानगढ को रिसीवर नियुक्त किया। अप्रार्थी प्रतिवादीया ने इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनकर निर्णय दिनांक 27.5.2004 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी वादी ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि पर जागीरदारी के समय सम्वत 2009 से वादी प्रार्थी लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 273 अप्रार्थी प्रतिवादीया के नाम गलत रूप से स्वीकृत किया गया है जबकि विवादित भूमि का काबिज काश्तकार प्रार्थी है। विवादित भूमि इन मिडियो में है जिससे रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2028 से 32 में प्रार्थी की काश्त दर्ज है। प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विचारण न्यायालय ने खसरा गिरदावरी व फोजदारी कार्यवाही के आधार पर न्यायहित में रिसीवर नियुक्त किया है जो न्यायोचित है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि प्रतिवादी अप्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। मात्र सम्वत 2028 से 32 की गिरदावरी में मिली भगती से एक बार नाम दर्ज करा दिया जिससे वादी प्रार्थी का कब्जा काश्त होना साबित नहीं माना जा सकता। सम्वत 2009 से विवादित भूमि पर अप्रार्थीया के पिता व बाद में अप्रार्थीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है। धारा 145 सीआर.पी.सी. की कार्यवाही में भी विवादित भूमि का कब्जा वापस अप्रार्थीया को दिया गया था जिससे विवादित भूमि पर अप्रार्थीया खातेदार होकर काबिज होना साबित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीया के पक्ष में साबित होते हैं। रिसीवर की आड में काबिज काश्तकार खातेदार को बेदखल नहीं किया जा सकता। अतः यह निगरानी खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि वर्तमान में अप्रार्थीया प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज है। इस संबंध में प्रार्थी वादी का तर्क है कि नामान्तरकरण संख्या 273 अप्रार्थीया के नाम गलती से स्वीकृत किया गया है। चूंकि वर्तमान प्रकरण धारा 212 अधिनियम का है जिसमें प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओं को देखा जाना है। हक हकूकों का निस्तारण मूलवाद में साक्ष्यों से होगा।

7. वर्तमान में विवादित भूमि अप्रार्थीया प्रतिवादी के खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि पर कब्जा काश्त भी अप्रार्थीया का ही होना राजस्व अभिलेख से साबित होता है। प्रार्थी वादी ने विवादित भूमि पर अपने कब्जे के समर्थन में सम्वत 2028 से 32 की एक खसरा गिरदावरी पेश की है। परन्तु इससे पूर्व एवं पश्चात का ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे विवादित भूमि पर विधिक रूप से कब्जा काश्त होना साबित होता है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी वादी के पक्ष में होना साबित नहीं होता है। चूंकि अप्रार्थीया प्रतिवादी खातेदार होकर काबिज है जिससे यदि रिसीवर नियुक्त किया जाता है अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थीया को होगी। विवादित आराजीयात इन मिडियो होना भी साबित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में रिसीवर नियुक्ति का आदेश अनुचित एवं अवैधानिक होने से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है एवं हम इस निगरानी में कोई सार नहीं पाते है जिससे खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 27.5.2004 यथावत रखा जाता है। चूंकि विचारण न्यायालय में वाद वर्ष 1995 से विचाराधीन है। अतः विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि पुराना प्रकरण होने से वाद में छोटी छोटी तारीख पेशी देकर वाद का शीघ्र निस्तारण करें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य